03-06-2018

बिहार सरकार

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

विज्ञापन

स्वास्थ्य विभागीय निर्देश के आलोक में श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में जूनियर रेजिडेंट (Junior Resident) के पद पर संविदा/मानदेय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदो के विरूद्ध रिक्त 42 (बयालीस) पदों पर एक वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए (आरक्षण कोटि के अनुसार) नियुक्ति हेतु दिनांक– 15.06.2018 को प्राचार्य कार्यालय में एक Walk-in-Interview (चलन्त साक्षात्कार) निर्धारित किया गया है।

नियुक्ति की शर्त्ते :–

1) आवेदक भारत का नागरिक हो।
2) आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो।
3) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता – भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त एम0बी0बी0एस0 डिग्री। पी0जी0 डिप्लोमाधारी (निश्चेतना, रेडियोलौजी, मनोरोग, टी0बी0 एवं चेस्ट, शिशु रोग, चर्म रोग, हड्डी रोग, कान–नाक–गला, नेत्र, स्त्री रोग विषय में) को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
4) राज्य स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत नियमित चिकित्सक आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
5) आरक्षण– बिहार सरकार द्वारा देय आरक्षण प्रभावी होगा।
6) आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा आरक्षण कोटिवार निर्धारित निम्न प्रकार होगी :–

सामान्य वर्ग	01.08.2018 को अधिकतम आयु 37 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01.08.1981 के बाद होनी चाहिए।
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग पुरूष एवं महिला	01.08.2018 को अधिकतम आयु 40 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01.08.1978 के बाद की होनी चाहिए।
अनुसूचित/अनु0 जनजाति पुरूष एवं महिला	01.08.2018 को अधिकतम आयु 42 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01.08.1976 के बाद की होनी चाहिए।

7) साक्षात्कार के समय सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति के साथ सभी प्रमाण पत्रों का स्व अभिप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है। हाल में खिचा हुआ दो पासपोर्ट साईज का कलर फोटो लाना अनिवार्य है।
8) आवश्यकतानुसार सीटों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
9) आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के स्थायी निवासी पर ही लागू होगा।
10) चयनित उम्मीदवार को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय राशि 44000/– (चौवालीस हजार) रूपये प्रति माह देय होगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मानदेय वृद्धि का देय लाभ लागू होगा।
11) कार्य संतोषप्रद रहने पर ही सरकारी निर्देशानुसार पुनः संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
12) यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा नही करने का शपथ पत्र नियुक्ति के समय देना अनिवार्य है।
13) उपरोक्त वाँछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी ही दिनांक – 15.06.2018 को इच्छानुसार प्राचार्य कार्यालय, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में 10.00 बजे पूर्वा0 में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे।
14) सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति होने पर आपका नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
15) कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर समय से पूर्व नोटिस देकर पदच्यूत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा तथा नियुक्ति पद धारक भी अवश्यकता पड़ने पर एक माह पूर्व नोटिस देकर अपनी सेवा से मुक्त हो सकते है।
16) यह नियुक्ति "बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 संशोधन 2013 के एनेक्सर – A के 1 क, ख, ड., एवं 2" में निहित मापदंड के आधार पर की जाएगी।
17) किसी भी परिस्थिति में न्यायिक विवाद का क्षेत्र मुजफ्फरपुर स्थित न्यायालय होगा।
18) साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
19) कतिपय कारणों से Walk-in-Interview (चलन्त साक्षत्कार) को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
20) विस्तृत जानकारी के लिए www.skmedicalcollege.org पर Login कर सकते है।

रिक्त पदों की विवरणी कोटिवार निम्नलिखित है :–

1.	सामान्य	–	21
2.	पिछड़ा वर्ग	–	05
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	–	08
4.	पिछड़ा वर्ग महिला	–	01
5.	अनुसूचित जाति	–	06
6.	अनूसूचित जन जाति	–	01
	कुल	:–	42

नोट :– आवश्यकतानुसार सीटों की संख्या घटाई/बढाई जा सकती है।

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

PR.2781 (Health) 2018-19

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के सम्बंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।